




राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 517-दो /03

जिला -रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>19.5.14</p> <p>समय दोपहर 12.00 बजे</p> <p>समय दोपहर 3.00 बजे</p>	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी एवं आवेदक इन्द्रमणि पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद ब्राह्मण निवासी घुरहंटा कला तहसील मउगंज जिला रीवा म0प्र0 को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p>प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत ।</p>	
<p>शाम 5.00 बजे</p>	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी एवं आवेदक इन्द्रमणि पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद ब्राह्मण निवासी घुरहंटा कला तहसील मउगंज जिला रीवा म0प्र0 को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p>प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत ।</p>	
	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी एवं आवेदक इन्द्रमणि पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद ब्राह्मण निवासी घुरहंटा कला तहसील मउगंज जिला रीवा म0प्र0 को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>अतः म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"> (अशोक शिवहरे.) सदस्य</p>	

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..